

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- डॉ गोरधन लाल शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 53/2022

दायर तारीख 05/04/2022

निर्णय

दिनांक 05/04/2022

सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू में पत्र क्रमांक/भू0अ/22/298 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा नीवास व बलरामपुरा की सीमा पर स्थित आम रास्ता (बालोता की ढाणी) लगभग 4 मीटर चौड़ाई में चालू है। उक्त रास्ता ग्राम खेड़ारानीवास के खसरा नम्बर 10 रकबा 1.18 हैक्टे. की उत्तरी सीमा पर 3½ मीटर-4 मीटर चौड़ाई व पूर्व से पश्चिम 98 मीटर लम्बाई में तथा ग्राम बलरामपुरा के खसरा 122 रकबा 0.51 हैक्टे. की दक्षिणी सीमा पर लगभग 4 मीटर चौड़ाई व पूर्व पश्चिम 84 मीटर लम्बाई त है। जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.08 हैक्टे. है जो कि उक्त दोनों खसरा नम्बरान में समभाग अर्थात् 0.04 हैक्टे. प्रत्येक में स्थित है। जो कि उक्त खसरा नम्बर 10 रकबा 1.18 हैक्टे. किस्म बरानी 1 शान्ति देवी अनुमानसहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर व खसरा नम्बर 122 रकबा 0.51 हैक्टे. किस्म चाही 2 जगदीश पुत्र कालू, जयराम, बट्टी, रामसहाय, लक्ष्मीनारायण, सीताराम पि० पाँचू जाति मीणा के नाम दर्ज है। ग्राम खेड़ारानीवास के खसरा नम्बर 10 की खातेदार शान्ति देवी के पति सहाय शर्मा द्वारा 12 फीट चौड़ाई का रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु शपथ पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत एवं खसरा नम्बर 112 के खातेदारान द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु उक्त रास्ते बाबत सहमति जाहिर इस प्रकार तहसीलदार द्वारा रास्ता हेतु भिजवाया गया प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट ग्राम बलरामपुरा बालोता की ढाणी में आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 10 मे से 0.04 है0 रा नंबर 122 मे से 0.04 है0 भूमि वाके ग्राम खेड़ारानीवास आम रास्ते के उपयोग में आ रहा हैं अतः रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रप-6) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र प.3 (2) /2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 तथा परिपत्र दिनांक 30.09.2021के अनुक्रम में रास्ता दर्ज करने के दिया जाना उचित समझते हैं।

तहसीलदार कोटखावदा द्वारा प्रस्तावित रास्ता व खातेदारान द्वारा रास्ता दर्ज किये जाने की व तहसीलदार कोटखावदा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य मय रिपोर्ट पटवारी गिरदावर इस नकल जमाबन्दी व खातेदारान सहमति के पेश किये गये हैं। उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत का अवलोकन से वाके ग्राम खेड़ा रानीवास तहसील कोटखावदा में स्थित खसरा नंबर 10 मे से 0.04 व खसरा नंबर 122 मे से 0.04 है0 किस्मे गै0मु0 चाह दर्ज है जो रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना गत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा का हस्तगत प्रार्थना पत्र द्वारा चाहे गये खसरा नंबर 10 मे से 0.04 व खसरा नंबर 122 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम खेड़ारानीवास तहसील कोटखावदा में ग्राम बालोता स्थित बालोता की ढाणी में ढाणी तक चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता दर्ज किया जाये तो में दर्ज खसरा नंबर व रकबा पुर्वानुसार यथावत रहेगा। इस प्रकार खसरा नंबर 10 रकबा 1.18 मे से 0.04 है0 व खसरा नंबर 122 रकबा 0.51 है0 मे से 0.04 है0 भूमि आम रास्ते में दर्ज किये आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तत्कालीन

(डॉ गोरधन लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)